। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
नम्बर :–381/2017 प्रार्थना पत्र
लाल पिता मोहन नायक, उम्र बालिग निवासी गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
न)
------प्रार्थी

बनाम

विन्द पिता मोहन नायक, उम्र बालिग निवासी गणेशपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
बी पिता गोपाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–8.3.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व
। 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तस्वारिया
ल्का पालड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी
51/506 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण
आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं
कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं
श्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थी का
त्र स्वीकार फ़रमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये
वेपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे
पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण
7.3.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा
सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे
की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते
सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे
की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में
रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत
ार किया जाकर ग्राम तस्वारिया पटवार हल्का पालड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व
ा भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 851/506 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि की
ा की पुख्ता जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये
ा के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त
या जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner